

जनपद मऊ में पुलिस मुठभेड़ में अभियुक्त के पैर में लगी गोली, कब्जे से दो/एक अदद अवैध तमंचा/खोखा कारतूस 315 बोर व एक अदद मिस कारतूस के साथ चोरी की घटना में सम्मिलित 02 नफर अभियुक्तगण गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में एवं क्षेत्राधिकारी नगर श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में थाना सरायलखंसी पुलिस टीम द्वारा दिनांक 23.11.2025 को मु0अ0सं0 475/25 धारा 305(a)/331(4)/317(2) BNS में ग्राम सरवां बाजार में सुनार की दुकान से शटर तोड़ कर कारित हुयी आभूषण की चोरी की घटना में सम्मिलित 02 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 व 16.11.2025 की रात्रि में ग्राम सरवां बाजार में सुनार की दुकान से शटर तोड़ कर अज्ञात चोरों के द्वारा दुकान से रखी तिरोजी को तोड़कर सोने चांदी के आभूषण चोरी कर लिया गया था, जिसके क्रम में वादी मुकदमा राज वर्मा पुत्र मोहन वर्मा निर्मल सरवां चट्टी थाना सरायलखंसी जनपद मऊ के लिखित तहरीर के आधार पर दिनांक 16.11.2025 को थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 475/25 धारा 305(a)/331(4) बीएनएस बनाम अज्ञात चोर पंजीकृत किया गया था। थाना सरायलखंसी की पुलिस टीम द्वारा सरवां बाजार में सेंधमारी की घटना में दिनांक 22.11.2025 को 05 नफर अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है और 02 अभियुक्त/चोर फरार चल रहे थे। जिसके क्रम में थाना सरायलखंसी पुलिस के द्वारा दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु लगातार चेकिंग व दबिश दी जा रही थी। इसी क्रम में दिनांक 23.11.2025 को थाना सरायलखंसी पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर हथिनी पुलिया के पास से 02 अभियुक्तों को घेगा गया अभियुक्तों के द्वारा अपने आप को घिर देखकर कर पुलिस पार्टी पर जान से मानरे की नियत से फायर किया गया। जवाबी हमले में पुलिस टीम के द्वारा भी फायर किया गया। जिसमें 01 अभियुक्त के पैर में गोली लग गयी और दूसरा अभियुक्त झाड़ी में छिप गया। दोनों अभियुक्त एक अभियुक्त हरद्वारी उर्फ हरिद्वारी पुत्र जसवन्त निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर के दाहिने पैर में गोली लगने से घायल हुआ तथा दूसरा अभियुक्त नेमपाल पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर है।

घायल अभियुक्त हरिद्वारी उर्फ हरिद्वारी उपरोक्त के पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद खोखा कारतूस तथा अभियुक्त नेमपाल उपरोक्त के पास से एक अदद अवैध तमंचा 315 बोर व एक अदद मिस कारतूस बरामद हुआ। घायल अभियुक्त हरिद्वारी उर्फ हरिद्वारी उपरोक्त को ईलाज हेतु राजकीय जिला चिकित्सालय मऊ भेजवाया गया तथा अभियुक्त नेमपाल उपरोक्त को हिरासत पुलिस लेकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण -

1. हरिद्वारी उर्फ हरिद्वारी पुत्र जसवन्त निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर
2. नेमपाल पुत्र मानसिंह निवासी ग्राम ईशापुर थाना निगोही जनपद शाहजहांपुर

अभियुक्त हरिद्वारी का अपराधिक इतिहास का विवरण

1. मु0अ0सं0 002/2019 धारा 380/457 भादवि थाना भोजीपुर, बरेली
2. मु0अ0सं0 022/2019 धारा 380/457 भादवि थाना भोजीपुर, बरेली
3. मु0अ0सं0 551/2024 धारा 174-ए भादवि थाना भोजीपुर, बरेली
4. मु0अ0सं0 034/2019 धारा 380/457 भादवि थाना शीशगढ़, बरेली
5. मु0अ0सं0 355/2021 धारा 174-ए भादवि थाना निगोही, शाहजहांपुर
6. मु0अ0सं0 023/2019 धारा 380/457 भादवि थाना फतेहगंज वेस्ट, बरेली
7. मु0अ0सं0 024/2019 धारा 457/411 भादवि थाना फतेहगंज वेस्ट, बरेली
8. मु0अ0सं0 432/2020 धारा 174-ए भादवि थाना मीरगंज, बरेली
9. मु0अ0सं0 299/2019 धारा 457/411 भादवि थाना शीशगढ़, बरेली
10. मु0अ0सं0 604/2023 धारा 380/457/411/413 भादवि थाना निघासन, खीरी
11. मु0अ0सं0 143/2024 धारा 2 (बी) (1)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना निघासन, खीरी
12. मु0अ0सं0 778/2016 धारा 272 भादवि व 60 (2) आबकारी अधिनियम भादवि थाना निगोही, शाहजहांपुर
13. मु0अ0सं0 660/2023 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निगोही, शाहजहांपुर
14. मु0अ0सं0 300/2012 धारा 457/411 भादवि थाना फतेहगंज, बरेली
15. मु0अ0सं0 143/2024 धारा 2 (बी) (1)/3 उ0प्र0 गैंगेस्टर एक्ट थाना पुवायां, शाहजहांपुर
16. मु0अ0सं0 452/2005 थाना बिलसण्डा, पीलीभीत
17. मु0अ0सं0 477/2005 थाना बिलसण्डा, पीलीभीत

18. मु0अ0सं0 478/2005 थाना बिलसण्डा, पीलीभीत
19. मु0अ0सं0 37/2010 थाना भमौरा, बेरली
20. मु0अ0सं0 062/2008 थाना निगोही, शाहजहांपुर
21. मु0अ0सं0 378/2005 थाना निगोही, शाहजहांपुर
22. मु0अ0सं0 381/2005 थाना निगोही, शाहजहांपुर
23. मु0अ0सं0 582/2011 थाना पुवायां, शाहजहांपुर
24. मु0अ0सं0 612/2011 थाना पुवायां, शाहजहांपुर
25. मु0अ0सं0 040/2010 थाना रोजा, शाहजहांपुर

अभियुक्त नेमपाल का अपराधिक इतिहास का विवरण

1. मु0अ0सं0 186/2024 धारा 305ए/317(2)/317(4)/331(4) बीएनएस थाना उचौलिया, खीरी

बरामदगी का विवरण-

अभियुक्तों के कब्जे से 315 बोर के दो अवैध तमंचे, एक अदद खोखा कारतूस व एक अदद मिस कारतूस बरामद ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

- 1- प्रभारी निरीक्षक संजय सिंह
- 2- 30नि0 मनोज कुमार सिंह
- 3- उ0नि0 अनिल कुमार तिवारी
- 4- हे0का0 अकमल
- 5- का0 विपिन यादव
- 6- का0 मनीष त्रिपाठी
- 7- का0 जंगबहादुर वर्मा
- 8- का0 रोहित सिंह

थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा हत्या मामले में वांछित 03 अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में अपराध/अपराधियों के विस्तृद्वचलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार व क्षेत्राधिकारी मधुबन श्री अभय कुमार सिंह के कुशल पर्यवेक्षण/नेतृत्व में थाना हलधरपुर पुलिस द्वारा दिनांक 23.11.2025 को थानाध्यक्ष थाना हलधरपुर जनपद मऊ मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र व पतारसी सुरागरसी में मु0अ0सं0 321/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ से सम्बन्धित 03 नफर अभियुक्त 1. आलोक सिंह उर्फ भीम सिंह पुत्र स्व0 तेजबहादुर सिंह उम्र करीब 36 वर्ष, 2. राहुल सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह उम्र करीब 38 वर्ष व 3. शिवानन्द उर्फ गौतम राजभर पुत्र स्व0 दीनानाथ राजभर उम्र करीब 45 वर्ष समस्त निवासीगण ग्राम कन्सो थाना हलधरपुर जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त ।

1. आलोक सिंह उर्फ भीम सिंह पुत्र स्व0 तेजबहादुर सिंह निवासी कन्सो थाना हलधरपुर मऊ उम्र करीब 36 वर्ष
2. राहुल सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह निवासी कन्सो थाना हलधरपुर मऊ उम्र करीब 38 वर्ष
3. शिवानन्द उर्फ गौतम राजभर पुत्र स्व0 दीनानाथ निवासी कन्सो थाना हलधरपुर मऊ राजभर उम्र करीब 45 वर्ष

गिरफ्तार करने वाले टीम –

- 1.थानाध्यक्ष जितेन्द्र कुमार
- 2.हे0का0 बृजेश कुमार
- 3.का0 सन्तोष पटेल
- 4.का0 रामेश्वर प्रसाद
- 5.चालक का0राजेश कुमार

आपराधिक इतिहास का विवरण –

आलोक सिंह उर्फ भीम सिंह पुत्र स्व0 तेजबहादुर सिंह निवासी कन्सो थाना हलधरपुर मऊ उम्र करीब 36 वर्ष

- 1.मु0अ0सं0 321/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ

राहुल सिंह पुत्र रामाश्रय सिंह निवासी कन्सो थाना हलधरपुर मऊ उम्र करीब 38 वर्ष

- 1.मु0अ0सं0 954/2007 धारा 143, 504, 506 भा0द0वि0 थाना हलधरपुर मऊ

2.मु0अ0सं0 321/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ

**शिवानन्द उर्फ गौतम राजभर पुत्र स्व0 दीनानाथ निवासी कन्सो थाना हलधरपुर मऊ
राजभर उम्र करीब 45 वर्ष**

1.मु0अ0सं0 321/2025 धारा 103(1) बी0एन0एस0 थाना हलधरपुर जनपद मऊ

पुलिस का संदेश:-

पुलिस अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेन्स की नीति पर कार्यरत है। आमजन से अपील है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत पुलिस को दें। संपर्क नंबर: 112 या स्थानीय थाना।

**‘पुलिस झण्डा दिवस’ के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा पुलिस लाइन में
किया गया पुलिस_ध्वज का ध्वजारोहण :-**

पुलिस कार्मिकों के प्रतीकात्मक फ्लैग चिन्ह लगाकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाये रखने हेतु किया गया प्रेरित

आज दिनांक 23.11.2025 को “पुलिस झण्डा दिवस” के अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक मऊ श्री अनूप कुमार द्वारा पुलिस लाइन में पुलिस_ध्वज का ध्वजारोहण कर सलामी दी गयी तथा पुलिस महानिदेशक 30प्र0 के संदेश को उपस्थित पुलिस अधिकारियों/कर्मचारीगणों को पढ़कर सुनाया गया व झण्डा दिवस के बारे में विस्तार से बताया गया। 23 नवम्बर, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिये गौरवशाली, ऐतिहासिक एवं अतिमहत्वपूर्ण दिन है। शक्ति एवं निष्ठा के प्रतीक, लाल एवं नीले रंग के ध्वज ने उत्तर प्रदेश पुलिस को एक गौरवमयी पहचान दी है। पुलिस विभाग के प्रति निष्ठावान हमारे वीर साथियों की जन-सेवा, कर्तव्यपरायणता, पराक्रम तथा आत्म बलिदान की अनगिनत गाथाओं के बाद पुलिस ध्वज प्राप्ति की इस गौरवमयी उपलब्धि का मार्ग प्रशस्त हो सका। पुलिस ध्वज के फहराने और उसके प्रति सम्मान प्रदर्शित करते समय हमें आत्माभिमान की अनुभूति होती है और हम सभी में कर्तव्यनिष्ठा की नई ऊर्जा संचरित होती है, जो हमें नये जोश और उत्साह के साथ कर्तव्यपालन के लिए प्रेरित करती है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल का इतिहास स्वर्णिम एवं गौरवशाली रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस बल एकल कमान के अन्तर्गत विश्व का सबसे बड़ा पुलिस

संगठन है। इतनी बड़ी आबादी वाले प्रदेश में उच्चकोटि का अपराध नियंत्रण एवं सुदृढ़ कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना ऐसे कार्य हैं, जिनमें पुलिस कार्मिकों को न केवल निरन्तर सजगता व सतर्कता बरतनी होती है, बल्कि प्रत्येक क्षण नई चुनौतियों का सामना करते हुये अपने जीवन को जोखिम में डालना पड़ता है। अन्त में अपर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा पुलिस झंडा दिवस के अवसर पर सभी को पुनः हार्दिक शुभकामनायें देते हुए सभी को इस गौरवशाली अतीत की गरिमामयी उपलब्धि का सम्मान बनाये रखने और अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं व्यावसायिक दक्षता से ऐसे अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते रहे, जिससे उत्तर प्रदेश पुलिस के स्वर्णिम इतिहास में नित नये आयाम स्थापित होते रहें तत्पश्चात् पुलिस ध्वज का प्रतीक उपस्थित अधिकारियों/कर्मचारियों की वर्दी की बांयी जेब की बटन के ऊपर लगा कर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए पुलिस ध्वज की गरिमा बनाये रखने हेतु प्रेरित किया गया।

इसी प्रकार समस्त क्षेत्राधिकारी, थाना प्रभारी/ चौकी प्रभारीयों द्वारा अपने-अपने कार्यालयों पर पुलिस झंडा दिवस मनाया गया।

03 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री इलामारन जी के आदेश के अनुपालन तथा क्षेत्राधिकारी नगर मऊ श्री अंजनी कुमार पाण्डेय के कुशल नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे जो काफी दिनों से फरार चल रहे थे। अभियान के तहत मुकदमों में वांछित/ पुरुस्कार घोषित व गैर ज्ञानती वारण्टी की गिरफ्तारी का अभियान चलाया गया। इसी क्रम में थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ द्वारा आज दिनांक 23.11.2025 को 03 नफर वारण्टी को नियमानुसार गिरफ्तार किया गया।

➤ गिरफ्तार वारण्टी का विवरण: –

1. निरहू पुत्र केशव निवासी बेलचौरा थाना सरायलखन्सी जनपद मऊ उम्र 34 वर्ष
2. सरवर जमाल पुत्र स्व.नजीर अहमद निवासी मोहल्ला प्रेमाराय थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 36 वर्ष
3. मुन्नीलाल पुत्र त्रिवेणी यादव निवासी भीटी थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ उम्र 60 वर्ष

➤ गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरण:–

1. उ0नि0 सुनील कुमार सरोज थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
2. उ0नि0 जय प्रकाश थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
3. उ0नि0 सरफराज खान थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
4. उ0नि0 धीरज कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ

5. उ0नि0 रविन्द्र कुमार यादव थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ
6. का0 अनुज कुमार थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ